

25.7.25

वकील सापलान उप / वकील सापलान ने गैर सापलान
 की तलवी का स्टैप नहीं लिया है। तलवी हेतु
 बार-बार निवेदन किये जाने के बावजूद स्टैप
 नहीं लिया है परन्तु अब सर किया जा चुका है।
 आज भी गैर सापलान पेश करने हेतु समय
 चाहते हैं और समय दिया जाना उचित नहीं
 समझते हैं। अतः पार्वना पत्र सापलान तलवी
 के डिफोल्ट में जारी किया जाता है। पत्रावली
 फिलहाल शुमार होकर दायित्व दफतर है। मूल पत्र
 के साथ बिलान रहे।

उपखण्डाधिकारी
 धौलपुर (राज०)